

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

लाडू बनाम छातर (कौत)

किस्म मुकदमा प्री-५५ 11-128 नं० 82 सन 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही गये इनिशियल्स अज	नाम्यर व तारीख अदकाम चा इस हुकम की तारीख में जारी हुए
-6-20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 21-7-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
1-7-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित गीतारीन अधिकारी राजकीय कार्य निष्पत्ति से बाहर हैं / पदरिक्त है । अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
1-8-20	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा अतिरिक्त कार्य स्थगन/वहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो ।</p> <p>25-8-20</p>	
25-8-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित गीतारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं । अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
15-9-20	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित । अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे फ़िलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक</p>	

15-11-20



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। वकील प्रार्थी ने पक्ष कस्तीवाही
पक्ष चुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दमा संख्या - 82/20 प्रा.पत्र

श्री लाडु डालो श्री कौंगा भील निवारी - मकखेडा तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री हातर डालो श्री गोमा भील निवारी - मकखेडा तहसील - माण्डल (वर्गश)
(सिद्धाडित प्रा.पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मकखेडा पटवार हल्का गोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 19/16 कुल किता 02 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हों होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15-06-20 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मकखेडा पटवार हल्का गोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 19/16 कुल किता 02 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागोर 4500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरानु की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा